UPGK060022702023

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं० 3, गोरखपुर

प्रकीर्ण वाद संख्या–528/2023

श्रीमती रजनी देवी—बनाम–––प्रिन्स अगम सिंह वगैरह

दिनांक–04.08.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदकगण उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र 4ग अंतर्गत आदेश नियम 4 जा०दी० सी०पी०सी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी ने एक मुकदमा श्रीमान के न्यायालय में मूलवाद संख्या 206/2015 रजनी देवी बनाम प्रिन्स अगम सिंह वगैरह इस वाद का दाखिल किया कि प्रतिवादीगण आराजी संख्या 457, 468, 462, 465 में वादिनी का हक व हिस्सा स्थित मौजा जंगल नकहा नं01 तप्पा–कस्बा, परगना–हवेली, तहसील सदर, जिला– गोरखपुर जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में बरंग सुर्ख से दर्शित किया गया है में आवेदिका के कब्जा दखल में कोई मुजाहिमत मुदखलत ना करें तथा बैनामा दिनांक 4–9–2013 को शून्य घोषित करने के लिए दाखिल किया। आवेदिका/वादिनी अपने मुकदमें की पैरवी स्वयं करती थी और कचहरी में निरन्तर हर तारीख पेशी पर अपने स्वय आती थी। प्रार्थिनी के पति शोभीन्द्र सिंह जो वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए और बाद सेवानिवृत्त के वह अक्सर बीमार रहते है और डाक्टर ने उन्हें ताजी हवा तथा शुद्ध वातावरण में रहने की सलाह दे रखी है और प्रार्थिनी अपने पति को लेकर अक्सर हिल स्टेशन पर जाती रहती है। वर्ष 2020 में माह मार्च में कोरोना काल आया और उस समय प्रार्थिनी अपने पति को लेकर घर पर थी। चूंकि देश व्यापी लाकडाउन चल रहा था और कही पर भी आने जाने पर रोक था जिसके कारण प्रार्थिनी के पति की तबियत तीन माह घर में रहने के कारण खराब हो गयी और जैसे ही लाक डाउन खत्म हुआ तुरन्त माह अगस्त 2020 में प्रार्थिनी अपने पति को लेकर अपने पति के गांव रामपुर जिला मुंगेर सुबा बिहार चली गयी जहां पर शुद्ध हवा पानी पाने से प्रार्थिनी के पति के तबियत में काफी सुधार हो गया। चूंकि प्रार्थिनी का जिला गोरखपुर में उसकी जायजात को लेकर कई मुकदमें चल रहे है जिसको प्रार्थिनी ने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार से यह कह रखा था कि आप हमारे सभी मुकदमो को देखते रहीयेगा और प्रार्थिनी समय समय पर उन्हें मुकदमें का खर्चा देती रहेगी। चूंकि प्रार्थिनी इस बात से आश्वस्थ थी कि प्रार्थिनी के नजदीकी रिश्तेदार मुकदमें को देख रहे है इसलिए प्रार्थिनी ने अपने मुकदमें के सन्दर्भ में कभी भी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही किया । प्रार्थिनी माह अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में दिनांक 29–8–2023 को गोरखपुर आयी तथा अपने रिश्तेदार से सम्पर्क किया तथा अपने मुकदमें के सन्दर्भ में उनसे जानना चाहा जिस पर उक्त रिश्तेदार ने अनभिज्ञयता जाहिर की और कहा कि हम काफी समय से आप के अधिवक्ता से मिले नही है और आप अपने अधिवक्ता से मिलकर अपने मुकदमें के सन्दर्भ में जानकारी करें जिस पर प्रार्थिनी दिनांक 30–8–2023 को दीवानी कचहरी गोरखपुर आयी तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर हम प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने भी मुकदमें के सन्दर्भ में अनभिज्ञयता जाहीर की और कहा कि विला पत्रावली मुआइना के हम कुछ भी बता पाने में असमर्थ है क्योंकि आप कोरोना के बाद से कचहरी नही आयी है। चूंकि 31–8–2023 को दीवानी कचहरी रक्षाबन्धन के उपलक्ष्य में बंद थी लेहाजा दिनांक 01.09.2023 को मिसिल मुआइना की दरखास्त दी गयी तथा दिनांक 04.09.2023 को मिसिल मुआइना हेतु उपलब्ध हुई और मिसिल मुआइना से यह बात संज्ञान में आयी कि प्रार्थिनी का मुकदमा दिनांक 24–5–2022 को प्रार्थिनी की अनुपस्थिति के कारण खारिज हो

गया है। प्रार्थिनी ने भी मुकदमा हाजा की पैरवी करने की जानबूझकर गुरेज नही किया है जो भी गलती है वह उपरोक्त अपरिहार्य कारणों से हुई है। न्यायहित में आदेश दिनांक 24–5–2022 को रिकाल व मंसूख करते हुए मुकदमा हाजा को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदिका द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विलम्ब में प्रार्थना पत्र 5ग अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान कर देरी को माफ किये जाने हेतु दाखिल किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को आपत्ति का पर्याप्त अवसर दिया गया किंतु न तो वह उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति ही दाखिल की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र4ग मूलवाद सं०–206/2015 रजनी देवी बनाम प्रिन्स अगम सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी के पति बीमार हाने के कारण एवं उसके उपरांत कोरोना काल लोकडाउन के कारण प्रार्थिनी न्यायालय नहीं आ सकी। चूंकि 31–8–2023 को दीवानी कचहरी रक्षाबन्धन के उपलक्ष्य में बंद थी लेहाजा दिनांक 01.09.2023 को मिसिल मुआइना की दरखास्त दी गयी तथा दिनांक 04.09.2023 को मिसिल मुआइना हेतु उपलब्ध हुई और मिसिल मुआइना से यह बात संज्ञान में आयी कि प्रार्थिनी का मुकदमा दिनांक 24–5–2022 को प्रार्थिनी की अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गया है।उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को आपत्ति का पर्याप्त अवसर दिया गया किंतु न तो वह उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति ही दाखिल की गयी है। अनुपस्थिति का प्रदर्शित कारण समुचित व पर्याप्त प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए क्षमा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से दिया गया है जिसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अतः प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 4ग मु०–500/– रुपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद संख्या 528/2023 निस्तारित किया जाता है। पत्रावली अपने मूल नं– 206/2015 रजनी देवी बनाम प्रिन्स अगम सिंह वगैरह पर कायम हो। पत्रावली दिनांक 02.09.2026 को पेश हो।

(दीपिका)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट संख्या–03,गोरखपुर।
J.O. Code–UP3795

Digitally signed by DEEPIKA
Date: 2026.08.04 16:20:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court